

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त 2013—भाद्र 9, शक 1935

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. 32-जल.विनि.अधि.-2013-मध्यम-इकतीस-841.—मध्यप्रदेश जल विनियमन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 28 सन् 2013) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 13 अगस्त 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा.

Order No. XXXII-Jal.Vini-Adhi-2013-Medium-XXXI-841.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Jal Viniyaman Adhiniyam, 2013 (No. 28 of 2013), the State Government, hereby, appoints the 13th day of August 2013 as the date on which the said Act shall be deemed to have come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. टेकाम, उपसचिव.